

कार्यालय
अधिशालसी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

ई मेल : eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

Phon, Fax : 01363244103

पत्रांक 197/32/पी.एम.जी.एस.वाई./2018-19 दिनांक 09/04/2019

सेवामें

नोडलअधिकारी,
इन्दरा नगर फोरेस्ट कलोनी,
देहरादून।

विषय:- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग **FP/UK/ROAD/38448/2019** मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव की आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी **FP/UK/ROAD/38448/2019** मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अधिशालसी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

संलग्न:- 1 प्रति में।

पत्रांक / पी.एम.जी.एस.वाई./2018-19 तददिनांक

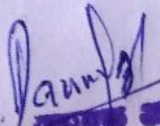
प्रतिलिपि :-1.सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हुतु प्रेषित।

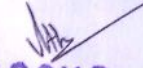
अधिशालसी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

Proposal No.FP/UK/ROAD/38448/2019

EDS dated 08.04.2019

1. User agency may review temporary employment detail at section E in Form A, part I. Please rectify it.	Temporary employment details at section E in form A, part I are rectify by us.
2. Date mention in DM certificate is incorrect. Please upload correct FRA at section K in Form A, part I.	Date mention in DM certificate is correct and FRA is uploaded at section k in form A, part I.
3. Some other documents has been uploaded in the place of Alternate alignment detail at section (ii) in Form A, part I.	Alternate alignment detail uploaded at correct place at section (ii) in form A, part I.


प्रमुख अभियंता
पीएमजीएसडी काराप्रयाग
राज्य परिवहन विभाग


Ex.E. P.M G.S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

डिजिटल मैप - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

14

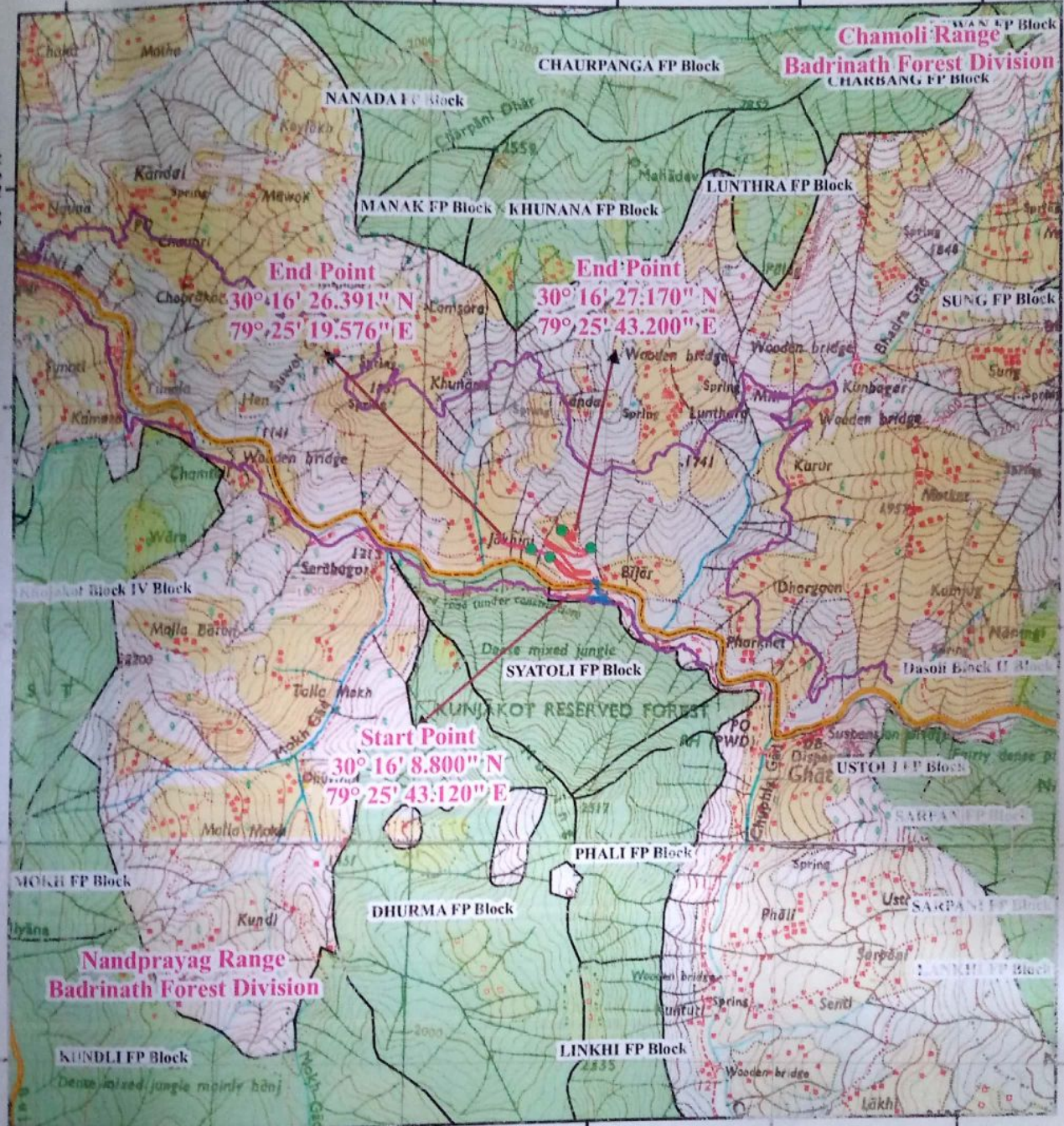
0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale: 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/07



79°23'0"E 79°24'0"E 79°25'0"E 79°26'0"E 79°27'0"E 79°28'0"E



Legend

- Muck Disposal Sites
- Link Road
- Proposed Road
- Altranet Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वन्याधिकारी
बन्नीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

जिला अधिकारी
चमोली

Ex.E S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No ---

Dated 24-02-2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt0 dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project of linear project, it is certified that 2.3475 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Nand prayag Ghat Motor Road k.m 15 to jakhni Motor Road under PMGSY in Chamoli** (purpose for diversion of forest land) in district falls within jurisdiction of Village jakhni Village in Ghat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.3475 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and District Level Committee are enclosed.
- The Diversion of forest land for facilities manage by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

प्रभागीय वन अधिकारी
जिला वन प्रभाग, गेपेश्वरा

जिला अधिकारी
चमोली

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Office of the District Collector,

District-chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Swati S. Bhaduria (IAS), District Magistrate, Chamoli(Uttarakhand) on 24-02-2019 at 15.02.2019 at chamoli in which the application claiming rights in **Jakhani, Kanda village in Ghat Tehsil**, area measuring **2.3975ha** for the **Construction of Nandprayag Ghat km 15 to Jakhani motor road under PMGSY in chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub-Division Level committee of Ghat teshil were discussed to consider the same for admission by the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


District Magistrate - cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

जिना अधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत -1 नं. प्रयाग-घाट Km 15 से जाखवी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति:-

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मो. मा. कि. मी. 15 से जाखवी

मार्ग (0.00 है०) आरक्षित वन भूमि (2.3975 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि) (0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.3975 है० वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- घाट) की दिनांक 20-2-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कुशरा अन्सारी उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री कुशरा अन्सारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री सुनील जैनी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	श्री अशोक चन्द	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य विकास अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नन्दप्रयाग घाट मो. मा. कि. मी. 15 से जाखवी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.3975 है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, 11/12 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अब प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

नं. १२१११/६१८ दि. १५.११.१९७९

मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु २.३३.७५ हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में राक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चमोली (६१८)
जनपद- चमोली

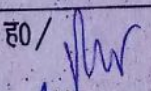
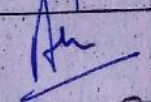
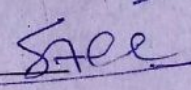
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- (६१८)-चमोली
जनपद- चमोली

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत न.क.प्र.या.उ. धाट मो.मा. के कि.मी. 1.5 से लाखवीं मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 20-2-2019 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री बुशरा अंसारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0/ 
2	श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री सुनील नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास विभाग धाट 22/02/19 चमोली
4	श्री शकुन्तला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	

दिनांक

मनेन्द्र सिंह कठेल (मनोज)

ग्राम प्रधान
जिला अध्यक्ष
प्रधान संगठन चमोली

34

निवास:

ग्राम - जाखणी,
पो.ओ.- सेरा, वि.ख. घाट जिला चमोली
मो.: 9997799970, 7500301920

पत्रांक.....

दिनांक 18.01.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18.01.2019 को ग्राम पंचायत जाखणी की आम बैठक
आहूत की गयी, जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है
कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट किमी 15 से
जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में ग्रामवासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण
की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वच्छा से प्रदान करने को तैयार है एवं
ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ~~कच्चा~~ जगन्नाथ मोटर मार्ग के ~~निर्माण~~ 1.5 से जगन्नाथ मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जगन्नाथ
तहसील घाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जगन्नाथ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ~~(-0.66~~ हे० आरक्षित वन भूमि, ~~5.34~~ हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि ~~0.66~~ हे०) अर्थात् कुल ~~3.97~~ हे० वन भूमि का ~~विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,~~ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जगन्नाथ द्वारा दिनांक 10/01/2019 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जगन्नाथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ~~विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

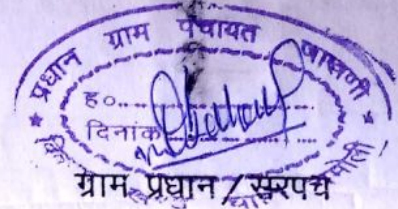
मुहर सहित

ग्राम पंचायत जगन्नाथ
दिनांक 10/01/2019
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दप्रसाग घाट सीटर बाग
कृ.मि.015 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 18.01.2019 को ग्राम सभा ^{जाखणी} के कमिटी की आम बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रसाग घाट की 015 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



मुहर सहित

दिनांक 18.01.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पंचायत का नाम :- जाखणी

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	आनंद सिंह कठेल	
2-	देवेंद्र सिंह नेगी	Devendra
3-	वीरेंद्र सिंह फुलवाण	वीरेंद्र
4-	उदय सिंह नेगी मल्ल कांसा जाखणी	उदय सिंह
5-	आनंद सिंह कठेल	आनंद सिंह
6-	देवी लाल	देवी लाल
7-	रामा सिंह कठेल	
8-	रघुवर सिंह	
9-	गोवर्ध सिंह	गोवर्ध सिंह
10-	धन सिंह	धन सिंह
11-	जगदामाश लाप	
12-	जमरा सिंह	जमरा सिंह
13-	मुरी कुलपा सिंह नेगी	मुरी
14-	यशपाला सिंह कठेल	यशपाल
15-	सुरज सिंह	सुरज सिंह
16-	इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह
17-	देव सिंह कठेल	देव सिंह
18-	पुताप सिंह नेगी	पुताप सिंह
19-	प्रेम सिंह बिहारी	प्रेम सिंह बिहारी
20-	दिलवर सिंह बिहारी	दिलवर सिंह
21-	डा. कृ. लाला देवी सोम पठसलम जाखणी	डा. कृ. लाला देवी
22-	देवा सिंह नेगी	देवा सिंह
23-	अगत सिंह खत्री	अगत सिंह
24-	अगतनी प्रसाद पुरेहित	अगतनी
25-	शिवप्रसाद मुखिया पांडेय	शिवप्रसाद
26-	चंखी लाल	चंखी लाल
27-	वीर सिंह फरस्वाण	वीर सिंह
28-	लक्ष्मी प्रसाद पुरेहित	लक्ष्मी
29-	पुरुषोत्तम पुरेहित	पुरुषोत्तम
30-	अर्जुन सिंह कठेल	अर्जुन सिंह
31-	संजय सिंह कठेल	संजय सिंह
32-	प्रेम सिंह नेगी	प्रेम सिंह
33-	चन्हमोहन सिंह	चन्हमोहन
34-	प्रभाश सिंह	प्रभाश

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 27.01.2019 को ग्राम पंचायत बिजार की आय बैठक
आहूत की गयी, जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया
है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट लिखी। 5
से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम वासियों को जो भी श्रम अथवा
को जायेगी, वह श्रम ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार हैं, एवं ग्राम
वासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोर्चा के कि.मी. से जारखी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिजार
तहसील घाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जारखी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (-0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.3675 हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि -0.00 हे०) अर्थात् कुल 3.3675 हे० वन भूमि का पीएमजीएसवाई विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिजार द्वारा दिनांक 27/01/2010 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

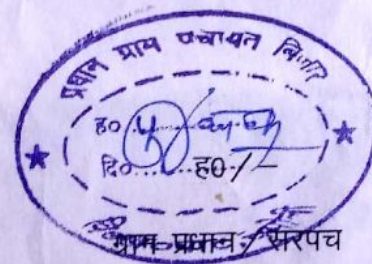
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिजार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पीएमजीएसवाई कर्षण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित



मुहर सहित

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नल्लप्रसाद बाट रो. मार्ग से
कि.मी. 0.15 से जाटवणी मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 27/01/2019 को ग्राम सभा ^{विजार} कलौल की आम बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नल्लप्रसाद बाट रो. मार्ग से जाटवणी मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



दिनांक 27/01/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पंचायत का नाम :- बिहार